committee which will look into these things, is an eminently reasonable proposal which should find your acceptance.

Mr. Speaker: I had said the other day that if some proof in any individual case is brought before me, I could look into it. I asked any Members who were in the possession of proof, apart from those that have already been produced and were on the file, to place them before me. This was what I said.

As regards the other point that the Government is not behaving in the manner it ought to. The only remedy Members have got is to censure a particular Minister or remove the Government itself. There is nothing that I can do.

Shri Tyagi: Along with that, it might also go into the record that the Ministers have contradicted the charges and repudiated them.

Shri S. M. Banerjee: I only want to say this. As far as we are concerned, your decision is final. But I only say this that if the Prime Minister does not make a statement, men like Shri Patil will go and make sweeping remarks outside.

---

13 hrs.

POST-GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, CHANDIGARH, BILL—Contd.

श्री वाल्मीकी (खुर्जा) : महोदय, मैं ....

Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha): We are only sitting up to 6 p.m. Naturally, the Patents Bill will not be reached. This is what the Government wanted, and it will happen.

Mr. Speaker: What can I do now?

Shri Vasudevan Nair: They have played their game quite well.

श्री वाल्मीकी : मैं "चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान स्नातकोत्तर संस्थान चण्डीगढ़" विधेयक का समर्थन करता हूं । इस अवसर पर मुझे पंजाब के स्वर्गीय मुख्य मंत्री, सरदार प्रताप सिंह कैरों की याद आती है, कि जिनके मस्तिष्क की यह संस्थान उपज है । उन्होंने अत्यन्त रुचि लेकर अपने विशेष प्रभाव से इस संस्थान को जन्म दिया और इसके लिये प्रयास किया । मैं उन चिकित्सा शास्त्रियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने प्रयत्न करके, हार्दिक प्रयास करके और अपने चिकित्सा सम्बन्धी बुद्धिमत्ता से इस संस्था को चार चांद लगाये हैं । यह संस्था भारत सरकार की देख रेख में चण्डीगढ़ में उन्नति करने जा रही है और इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना उचित ही है । इस प्रकार की संस्थायें सारे देश के अन्दर खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है, कुछ खुली हैं और अनेकों खोली जा रही हैं । मेरे मस्तिष्क में कोई शक नहीं है कि जो संस्थायें या इस प्रकार के संस्थान जो भारत सरकार की देख रेख में खुलते हैं, जैसे चण्डीगढ़ में, जो आज भारत सरकार के उत्तरदायित्व में संघीय राज्य है, यह संस्था खुलती है, तो पैसे या दूसरी दृष्टि से इनका कोई काम नहीं रुकेगा तथा मैं समझता हूं कि इनकी विशेष उन्नति और विकास भी हो सकेगा ।

जिस स्थान पर यह संस्था खोली जा रही है, या जिस प्रदेश के अन्दर खोली जा रही है, कल तक वह समूचे पंजाब का अंग था, परन्तु आज हरियाणा प्रदेश अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग है, पंजाब प्रदेश अलग है और चण्डीगढ़ एक अलग अपना स्थान रखता है । यदि इस स्थान को देखते हुए, मैं कुछ और तरह से कहूं, तो अध्यक्ष महोदय, आप भी इस उच्च स्थान पर बैठे हैं तथा आपका प्रभाव भी मेरे मस्तिष्क पर है और वह इस दृष्टि से है कि इस प्रकार की चिकित्सा संस्था या संस्थान उन स्थानों

[श्री बाल्मीकी]

पर भी खोले जायें जहां रोग वृद्धि है जहां रोगस्थ स्थिति है, जहां रोग का ठिकाना नहीं है, जहां दरिद्रता है, जहां गरीबी है, इस देश में ऐसे प्रदेश भी हैं, ऐसे पिछड़े क्षेत्र भी हैं और ऐसे स्थान भी हैं जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां रोग का ठिकाना नहीं है । यदि उन स्थानों का भी ध्यान रखा जाय, तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्राणी जी स्वयं सारे देश में रोग और रोगियों के कष्ट निराकरण में रुचि प्रदर्शित कर रही हैं, उस आवश्यकता को महसूस करेंगी ।

यह स्थान वह है, जहां का स्वास्थ्य, जहां का सौन्दर्य, जहां का शरीर सम्बन्धी प्रभाव सारे देश में अनोखा है और अलग दृष्टि का है । उस स्थान पर इस संस्थान को खोल कर मैं नहीं समझता कि वह क्या चाहते हैं ? इसमें कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के रोगों पर खोज की जायेगी, खोज के लिये तो अनेकों प्रकार के रोगी चाहियें, विभिन्न प्रकार के रोगग्रस्त मनुष्य चाहियें, तो क्या बाहर से उनको लाने का प्रयत्न किया जायगा ? क्योंकि स्थानीय क्षेत्र में तथा उसके आस पास उस प्रकार के रोगी, एक प्रकार से मानसिक दृष्टि से हो सकते हैं, लेकिन शारीरिक दृष्टि से रोगियों, बाह्य तथा आन्तरिक दृष्टि से रोगियों का वहां पर अभाव है । मैं मंत्राणी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके मस्तिष्क के अन्दर यह बात रहनी चाहिये कि देश के अनेकों क्षेत्र गरीबी और रोगों से ग्रस्त हैं, देश के अनेकों भाग, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, कानपुर आदि के औद्योगिक क्षेत्र, बिहार, बुन्देलखण्ड, जहां से कि वे स्वयं चुन कर आई हैं, ऐसे भाग हैं, जिनकी ओर भी उनकी दृष्टि जानी चाहिये । यदि इस संस्था को यहां पर बनपने दिया जाय, तो उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन स्थानों पर भी आपका ध्यान जाना चाहिये ।

मैंने जैसा अभी अर्ज किया कि चिकित्सा में अनुसन्धान की आवश्यकता है और चिकित्सा में अनुसन्धान के लिये मनः स्थिति होनी चाहये, मनुष्य को आशावान होना चाहये तथा जिन विशेषज्ञों को या जिन चिकित्सा शास्त्रियों को या चिकित्सकों को आप लाते हैं, उनके मन के अन्दर किसी भी प्रकार का असन्तोष और विडम्बना नहीं होनी चाहिये ये शब्द इस लिये कहता हूं कि जो हम खोज करते हैं, उस में मस्तिष्क की शुद्धता, विचार की परिपक्वता, सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है और यह उस रोगस्थ स्थिति से दूर होन चाहिये । मैं सद्गुरु वाल्मीकि के एक श्लोक की एक लाइन आपके सामने कहता हूं—उससे आपको बल और प्रोत्साहन भी मिलेगा—

अनिर्विदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः ।

आशा ही हमें खोज के विभिन्न मार्गों में प्रोत्साहित करती है, वह आशा हम में होनी चाहिये ।

मैंने कल भी सुना, मेरे कुछ साथियों ने कहा और मैंने भी स्वयं उस संस्था को देखा है और मुझे पूर्ण सन्तुष्टि है कि वहां जिस प्रकार के विशेषज्ञ, शरीर विज्ञान की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से खोज करने वाले मनीषी हैं, उनकी देख रेख में चिकित्सा विशेषज्ञ वे अध्यापक तैयार किये जायेंगे । यह बहुत ही उचित बात है, क्योंकि योजना के प्रारूप में मैंने देखा है, उसमें भी यह प्रदर्शित किया गया है कि देश के टेक्नीकल परसोनल के आधार पर भी सोचें तो चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञों व डाक्टरों की बहुत कमी है, यहां तक कि नर्सों की भी बहुत कमी है । इस कमी को दृष्टि में रखते हुए जिस मन्थर गति से यह काम देश में चल रहा है, मैं उसको उचित नहीं मानता । भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने और योजना आयोग ने

इस दृष्टि से बहुत कम काम किया है, पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में भी यह काम नहीं किया गया है। आज सारे देश के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की बहुत कमी है। आज भी हजारों अस्पताल इस प्रकार के हैं जिला स्तर पर, जहां डाक्टर जाता ही नहीं है। इस प्रकार के सुन्दर स्थानों पर, सुन्दर बिल्डिंग बना कर, सुन्दर विचार से, सुन्दर वातावरण में जो डाक्टर आप तैयार करते हैं, वह कभी भी देहाती क्षेत्र के अन्दर नहीं जाते हैं। मुझे पण्डित नेहरू के वे शब्द याद हैं, मैं उस सभा में मौजद था, जब कि रायपुर में जिला स्तर पर एक अस्पताल खोला जा रहा था। उन्होंने उस समय कहा था कि डाक्टरों को कोई वजह नहीं है कि वे चाहे विशेषज्ञ हों या नए डाक्टर हों देहातों में जाकर लगातार तीन वर्ष तक काम न करें। लेकिन देहातों में बहुत मामूली डाक्टर भेजे जाते हैं और मंत्राणी महोदया स्वयं डाक्टर हैं, वे जानती हैं कि देश में जो नीम हकीम खतरे जान हैं, जो अधूरा डाक्टर होता है, नया डाक्टर होता है, वह जान ले लेता है। इस अवस्था की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये।

आज वेतन क्रमों को लेकर के भी डाक्टरों के अन्दर बड़ा असन्तोष है। मंत्री महोदया जानती हैं कि मेडिकल प्रतिष्ठानों में जो वेतन क्रम हैं, उनमें और डाक्टर्स के वेतन क्रमों में, चाहे वे विशेषज्ञ हों, बड़ी विभिन्नता है, बड़ा डिस्पैरिटी है। मैं जानना चाहता हूं कि उस डिस्पैरिटी को दूर करने के लिये मंत्री महोदया क्या प्रयत्न कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की विभिन्नता को दूर किया जाये और डाक्टरों के मस्तिष्क के अन्दर जो असन्तोष है, यहां भी और सारे देश के अन्दर, उसे दूर किया जाये।

प्रवेश के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हू कि जिस समय उनका प्रश्न आता है तो बड़ी दिक्कत होती है। इस संस्था के अन्दर जो हिन्दुस्तान के नये प्रदेश हैं, चण्डीगढ़ को लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, उनका भी ध्यान रखा जाये, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि विशेष कर जो देश के पिछड़े भाग हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनका ध्यान रखा जाये तथा पिछड़े वर्गों का भी ध्यान रखा जाये। आज जिसको आप योग्यता कहते हैं वह योग्यता केवल नेपोटिज्म और फेवरिटिज्म के आधार पर मिलती है, इस लिये इसके ऊपर ध्यान दिया जाये। विशेषकर जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं उनको प्रवेश के सम्बन्ध में रिलेक्सेशन दिया जाये। तभी उनका प्रवेश संभव हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस संस्था के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाये तथा इस प्रकार की और भी संस्था में खोली जायें। मैं यह जरूर चाहता हूं कि यह संस्थायें विश्वविद्यालय स्तर की होनी चाहियें ताकि वहां पर अच्छे ढंग से काम हो सकें और हम नये ढंग के डाक्टर पैदा कर सकें तथा नये विचार पैदा कर सकें।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि संसद में सामान्यतया इस विधेयक का स्वागत हुआ है। कुछ बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, मैं उनका संक्षिप्त जवाब देना चाहती हूं।

पहली बात तो यह है कि जो इंस्टीट्यूट है वह पहले से शुरू हुआ हुआ था। हमने कोई नए सिरे से इसे शुरू नहीं किया है। पंजाब के विभाजन के कारण यह भारत सरकार के नीचे आया। उसका नियमन इस प्रकार से हो जैसे कि आल इंडिया इन्स्टीट्यूट है इस दृष्टि से हम इस विधेयक यहां लाये हैं। हम एक बड़ा विधेयक लाना चाहते थे जिसमें आल इंडिया इन्स्टिटयूट ....

श्री हुकुम चन्द कछवाय (देवास) : मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिये वे बैठ कर बोलें तो ज्यादा अच्छा है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मंत्री जी की तबियत ठीक नहीं है, तो वह बैठ कर बोलें ।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Yes, Sir, she may sit and speak.

Dr. Sushila Nayar: It is all right.

यह जो संस्था है इसको पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह कैरों ने स्थापित की थी । मैं मानती हूं कि यह संस्था उनकी बुद्धिमत्ता और विशाल दृष्टि का प्रतीक है । वह वहां पर देश भर से अच्छे से अच्छे डाक्टर लाये और अच्छे से अच्छे विद्यार्थियों को भी दाखिल किया । सब के लिये वहां के दरवाजे खुले हैं और विद्यार्थी अपनी योग्यता के आधार पर आ सकते हैं । जहां तक पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रश्न है, उन के लिये तो हमारे कांस्टिट्यूशन ने ही बतला दिया है कि उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । लेकिन वहां भी एक कम से कम स्तर तो होना ही चाहिये । यह मान कर उनकी सीटस का दूसरों के साथ मुकाबला नहीं होता है आपस में ही होता है । अगर वह मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं तो उनको दाखिला मिल सकता है । दूसरों को सारे देश के विद्यार्थियों से मुकाबला कर के नतीजे के आधार पर यह स्थान प्राप्त करना पड़ता है । हमने सोचा था कि आल इंडिया इन्स्टिटयूट को मध्य में रख कर बाकी उसके इर्द-गिर्द रीजनल इन्स्टिट्यूट अलग अलग जगहों पर कायम करें, और उन सब का एक ही तरीका परीक्षा वगैरह का हो । लेकिन पंजाब के विभाजन के कारण बड़ी तेजी से चंडीगढ़ इन्स्टिटयूट का मामला हमारे सामने आया । वह बड़ा विधेयक तो पूरा विचार कर के ही हम ला सकते थे । इस लिये जो विधेयक दोनों सदनों ने पहले आल इंडिया इन्स्टिट्यूट के मुताल्लिक सोच विचार करके पास किया था, उसी को हम इस समय सदन के सामने ले आये । उस में हमने बहुत थोड़ा सा परिवर्तन किया इस दृष्टि में कि आल इंडिया इन्स्टिट्यूट में पांच नियुक्तियां होती हैं । एक साइन्स कांग्रेस की और चार और । यहां पर हमने सात रखी हैं । इरादा यह था कि जो नये राज्य हरियाना और पंजाब के बने हैं उन के लोगों का भी रिप्रेजेन्टेशन वगैरह के लिहाज से कुछ ध्यान रखा जाये । इसलिये हमने दो नियुक्तियां ज्यादा रखीं ।

रिसर्च वगैरह के बारे में श्री वाल्मीकी ने कहा कि रिसर्च बीमारों के बीच में नहीं होनी चाहिये, अलग शान्त वातावरण में होनी चाहिये । यह बात सही है, लेकिन चूंकि मेडिकल रिसर्च तो बीमारियों के ऊपर ही होनी है, इसलिये अस्पताल वगैरह का होना जरूरी है । इसलिये वहीं पर ज्यादातर रिसर्च होती है । कुछ फंडामेंटल रिसर्च लेबोरेटरीज में भी होती है और कुछ फील्ड रिसर्च भी होती है, लेकिन क्लीनिकल रिसर्च अस्पतालों द्वारा ही हो सकती है । इसलिये वहां अस्पताल रखा जाता है ।

फिर यह कहा गया कि जो इतनी खूबसूरत जगहों से आयेंगे वे डाक्टर देहातों में कहां जायेंगे । बात बहुत ठीक है । खूबसूरत जगहों पर हम इस आशा से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वह दूसरे कालेज में जा कर के या डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स में जा कर के, जहां पर स्पेशिलिस्ट्स की आवश्यकता है, लोगों की सेवा करें । और मैं भरोसे से कह सकती हूं कि जो लोग तैयार हुए हैं उनका आज इसी प्रकार से अच्छा उपयोग हो रहा है ।

मैंने देखा कि डा० सी० बी० सिंह ने शंका प्रकट की कि खर्च बहुत होता है और टीचर्स वगैरह की कमी हम पूरी नहीं करते हैं । मैं उन से विनयपूर्वक कहना चाहता हूं आल इंडिया इन्स्टिट्यूट में खर्च ज्यादा होता है और सभी मेडिकल कालेजेज में होता है, लेकिन अगर इस बात का ध्यान रखा

जाये कि वहां पर अस्पताल चलते हैं जहां पर लोगों को बेहतरीन प्रकार की सेवा मिल सकती है ।

Shri D. C. Sharma: The All India Institute is doing splendid work in Delhi.

Dr. Sushila Nayar: I am glad to hear that.

जहां पुराने जमाने में लोग दूर देशों में जाया करते थे, वहां अब वे आल इंडिया इन्स्टिट्यूट में आ जाते हैं, चंडीगढ़ में आ जाते हैं, पांडेचेरी इन्स्टिट्यूट में आ जाते हैं । हमें उस की बड़ी खुशी होती है कि हमारी जनता सात समुद्र पार तो नहीं जा सकती है, लेकिन अपने देश में बेहतरीन सेवा सुविधा जो हम पहुंचा सकते हैं वह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं । इस लिये जो खर्च अस्पताल चलाने में होता है, अगर आप उस का अलग कर दें, वह खर्च जो हाई ग्रेड रिसर्च करने में होता है, उस को अलग कर दें, तो इन जगहों में ज्यादा खर्च होता है ऐसी बात देखते में नहीं आयेगी । माननीय डा० सी० बी० सिंह स्वयम् गवर्निंग बाडी के सम्माननीय सदस्य हैं । यदि उन को कोई सुझाव देना है खर्च कम करने के लिये अन्य कार्यों को सुधारने के लिये, तो वह हमेशा दे ही सकते हैं । और हमें जो अच्छे सुझाव दिये जाते हैं हम उन का स्वागत करते हैं ।

माननीय श्री दी० चं० शर्मा की खास निगाह रहती है स्वास्थ्य मंत्रालय पर तथा मंत्री पर, और वह कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करने का मौका कभी नहीं छोड़ते ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं तो आप का बड़ा भक्त हूं ।

डा० सुशीला नायर । मैं अदब से उन से कह रही हूं कि जो पैटर्न बना है आल इंडिया इन्स्टिट्यूट का, वह बहुत वर्ष पहले बनाया गया था और वही पैटर्न मैं ने आज इस सदन के सामने रक्खा है । अन्य प्रकार का पैटर्न नहीं लाई हूं ।

श्री दी० चं० शर्मा : पैटर्न बहुत गलत मालूम देता है ।

डा० सुशीला नायर : वह गलत है आपके यह कहने से ही तो काम नहीं चलता । क्योंकि जितने विशेषज्ञ हैं वे उसे अच्छा मानते हैं । आल इंडिया इंस्टीटयूट के सम्बन्ध में हम ने बाहर से एक रिव्यू कमेटी पिछले साल से पिछले साल पंडित जो से सलाह कर के बुलाई थी उन के कुछ शब्दों को आप के सामने पढ़ने की कोशिश करूंगी । उन्होंने बड़ी स्तुति की है कि जिस आशय से यह संस्था चलाई गई है वह आशय पूरा हुआ है और बहुत अच्छी तरह से यहां पर हाई ग्रेड काम हो रहा है । इस कमेटी ने मुक्त कंठ से इस प्रकार स्तुति की है ।

यह वह कहते हैं :

"The Reviewing Committee are most impressed by the present state and activities of the institute. The institute was first opened for pre-clinical training, etc., etc.— to have reached the present standard of integrated undergraduate and post-graduate teaching and research in so short a time and under such difficult circumstances is remarkable, and reflects greatest credit on all members of the staff.

आगे कहा है :

The Committee are satisfied that the institute in general has achieved the major objectives laid down in the original Act of Parliament. In so short a time available, by their visits to the institute, the Committee have been impressed by the research activity, by the attempts to experiment on and to integrate the under-graduate curriculum, by the results achieved in post-graduate training. The Committee wish to congratulate

[Dr. Sushila Nayar]

all concerned on the achievements of the institute."

यहां यह सवाल भी उठाया गया है कि कितने लोगों को इन्होंने ट्रेन किया है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उन से मालूम पड़ता है कि 285 पिछले साल, यानी 1965 के अन्त तक तैयार हो गए थे। उसके बाद चालीस और हो गए। साठ अभी दिसम्बर में परीक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार से चार सौ के करीब विशेषज्ञ तैयार हुए हैं। इनफार्मल इनक्वायरीज से हमें यह भी पता चला है कि वे जिस चीज के लिए तैयार किये गये हैं, उसी काम में लगे हुए हैं टीचिंग में लगे हुए हैं या स्पेशलिस्टों के तौर पर लगे हुए हैं। वे सारे देश में फैले हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह जो संख्या है इसको और बढ़ाया जाए। अगले साल से मेरा ख्याल है कि यह संख्या और बढ़ भी जाएगी।

इस तरह से हमारी कोशिश यह है कि जैसे कहा गया है, अलग अलग रिजंज में ऐसी ऐसी इंस्टीट्यूशंज खड़ी हो जायें। यह सवाल भी उठाया गया है कि इस को हम नैशनल इम्पार्टेंस की इंस्टीट्यूशज क्यों कहते हैं। आई० आई० टी० की मिसाल देश भर में है। सभी नैशनल इम्पार्टेंस की इंस्टीट्यूशंज हैं। आई० आई० टी० की दृष्टि से देखते हुए भी कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको हम इंस्टीट्यूशंज आफ नैशनल इम्पार्टेंस न कहें। जैसे मैंने कहा है जब वह एक्ट आ जाता है सब को साथ बांधने के लिए, तब कोई और परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो हम उसको कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भी यह लगा है कि इस इंस्टीट्यूट को इस समय नैशनल इम्पार्टेंस की इंस्टीट्यूट करार दिया जाए और इस हेतु बिल यहां रखा जाए और उसको पास करवाया जाए। यही ज्यादा बुद्धिमानी का काम होगा, बजाय इसके कि इस में बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन किये जायें।

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill to declare the institution known as the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, to be an institution of national importance and to provide for its incorporation, and matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: We will now take it up clause by clause.

Clause 2 —(*Declaration of Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, as an institution of national importance.*

Dr. Chandrabhan Singh (Bilaspur): I beg to move:

Page 2, line 4. (i) for "one of national importance" *substitute* "an Institute of Post-Graduate Medical Education".

(ii) Line 6 and 7, for "institution of national importance" *substitute* "Institute of Post-Graduate Medical Education." (2)

Sir, I just now, the Health Minister has dealt with extensively on the importance of what is known as an institution of national importance. If this institute remains as an importtant Institute just as the All India Institite of Medical Sciences, I have no dispute; it is a very important institute and it is coming up very well. I do not have to say anything against that. But the very idea that one is multiplying the institutions of national importance all over the country, to have 10 or 12 of such institutions all over the country, is not good. It is a point where I am not prepared to agree, because, the moment you put them up as "institutions of national importance', you give them some spe-

cial consideration. The I.I.T. is there and the Institute of Medical Sciences is there. The All-India Institute of Medical Sciences is there for the past 12 years or so. I have no dispute about it. But the moment it comes to multiply such institutions of national importance, when you multiply them, it is there that I feel that you dilute that importance which an "institution of national importance" should really have. I have no objection to this institute being declared not as an institution of national importance but as an institute of Post-Graduate Medical Education, and being given all help. But the moment you declare it to be an institution of national importance, I feel probably you are denigrating the importance of a national institute, that is, an institution of national importance.

Dr. Sushila Nayar: I have explained at the beginning that it is conceived that all these institutions, although they will be located in different regions, will be catering to the needs of the country as a whole. It is for this reason that we considered them institutions of national importance. I have given the analogy of the IITs which are in a similar situation. As such I request Dr. Chandrabhan Singh not to press his amendment, and if he does press it, I hope the House will not accept it.

Dr. Chandrabhan Singh: In view of the reply by the hon. Minister, I beg leave to withdraw my amendment.

Amendment No. 2 was, by leave withdrawn.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 5—(*Composition of Institute*)

Dr. Chandrabhan Singh: I beg to move:

(i) Page 3, line 3, *for* "seven" *substitute* "four". (3).

(ii) Page 3, *after* line 12, *insert*

"(h) two members of the Medical Council of India elected by the Council of whom one shall be the President of the Council and other a member of the Post-Graduate Committee of the Council." (4).

These amendments are very important. The constitution of the Institute is entirely on a nominated basis. Out of the 21 members, except three or four, the rest are all nominated. That is the present provision. That is the practice in the All-India Institute of Medical Sciences. I do not dispute it. But I do not think that this method of nomination of most of the members by the Central Government, by the Union Ministry of Health, should be agreed to. I have suggested that instead of seven, there should be four persons. I have given my reasons for it. I feel that on this institute, besides the members who may be coming from Himachal Pradesh, Haryana and Punjab, there must be a representative of the Medical Council of India. I have mentioned two members of the Medical Council of India elected by the Council of which one shall be the President of the Council and the other, a member of the Post-Graduate Committee of the Council. I feel that a representative of the Medical Council of India will help this institute and I hope that the Minister of Health will agree to this. I just want two members from the Medical Council of India. That is my request.

Dr. Sushila Nayar: I would like to assure Dr. Chandrabhan Singh that we have in mind to take some of the members who are members of the Medical Council of India. He himself knows; in the All-India Institute of Medical Sciences, there are five people who are members of the Medical

Council of sndia and who are members of the institute. As such I request him not to press his amendment. The whole idea has been that we do not want any kind of political pressure or election to come into the scientific and technical line and that is why we have kept it like this. But may I say that we consult everybody and it is in consultation with the top-knotch people like Dr. Chandrabhan Singh and others that these nominations are made. Members of Parliament, of course, will be there in any case. University representatives will also be there. As I said earlier, so far as the seven nominations are concerned, we increased the number from five to seven because we wanted to take care of Haryana and Punjab also. I request that he may not press his amendments.

Dr. Chandrabhan Singh: In view of the explanation given, I beg leave to withdraw the amendments.

Amendments Nos. 3 and 4 were, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 to 14 were added to the Bill.

Clause 15– (*Payment to institute*).

Dr. Chandrabhan Singh: I beg to move:

Page 7, line 20, *for* "The Central Government" *substitute*—

"The expenses to be incurred on the Institute shall be borne by the Government of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh proportionately and the Central Government." (5).

I have just mentioned that the institute's expenses be borne by the governments of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh proportionately and the Central Government.

Dr. Sushila Nayar: We have taken care of that in the general scheme of things. I wish there is no amendment because if we have an amendment we shall have to go back to the Rajya Sabha and the Bill will not be passed. I would request him not to press his amendments.

Dr. Chandrabhan Singh: In view of the assurance given by the Minister, I withdraw my amendment.

Mr. Speaker: So also his next amendment?

Dr. Chandrabhan Singh: Yes, Sir.

Amendment No. 5 was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker: The question is:

"That clauses 15 to 32 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 15 to 32 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Dr. Sushila Nayar: I beg to move:

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Bill be passed."

श्री प्र० सि० सहगल (जंजीगीर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा के विशेषज्ञ हमारे देश में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उनकी शिक्षा पर काफ़ी ख़र्च भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद चूंकि उनको पर्याप्त वेतन और एमालुमेंटस नहीं मिलते हैं और उनको उचित सुविधायें उपलब्ध नहीं की जाती हैं, इसलिए वे लोग ज्यादा दिन तक इस देश में नहीं रहते हैं। क्या मंत्राणी महोदया इस आशय की एक पूरी लिस्ट सदन के सामने रख सकेंगी कि पिछले पांच वर्षों में ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिन्होंने

शिक्षा तो यहां प्राप्त की, लेकिन जो अब विदेशों में जाकर जांच कर रहे हैं? मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि वे लोग क्यों अपने देश को छोड़कर विदेशों में जाकर कार्य करने लग जाते हैं। उसको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके यहां से दूसरे देशों को न जाने पायें।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बारे में काफ़ी कह चुके हैं। डा० नायर।

डा० सुशीला नायर : श्रीमन, मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने इस बात की ओर तवज्जह दी है कि विशेषज्ञों और डाक्टरों की तन्ख्वाहें और अधिक होनी चाहिए। हमारी इस दिशा में हमेशा कोशिश रहती है, लेकिन आप जानते हैं कि अपने देश की एक मर्यादा है– जितनी हमारी ताकत है, उतनी तो हम उनकी तन्ख्वाह वगैरह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो सुधार हुए हैं, वे काफ़ी अच्छे सुधार माने जाते हैं। हम और कोशिश करते रहेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि स्पेशलाइज करके हिन्दुस्तान से लड़के उतने बाहर नहीं जाते हैं, जितने कि ग्रैजुएशन के बाद स्पेशलाइज करने के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर वहीं रह जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश यह होती है कि लड़के बाहर न जायें, लेकिन हम उनको रोक कैसे सकते हैं? हम यह कोशिश ही कर सकते हैं और वह हम करते रहते हैं। लेकिन फिर भी लोग बाहर चले जाते हैं। मैं इतना ही कह सकती हूं कि उन लोगों को भी अब यह बात समझ में आ रही है, क्योंकि पुराने जमाने में जब वे लोग एफ० आर० सी० एस० या एम० आर० सी० पी० करके आते थे, तो उनको बहुत बड़े स्पेशलिस्ट माना जाता था। अब वह स्थिति नहीं है। इस समय जब वे आते हैं, तो उनको रजिस्ट्रार लगाते हैं, जैसे कि हमारे एम० डी० को लगाते हैं और धीरे धीरे ज्यों ज्यों वे तजुर्बा हासिल करते हैं, त्यों त्यों वे आगे बढ़ पाते हैं। बाहर जाकर एफ० आर० सी० एस० और एम० आर० सी० पी० करने का मोह थोड़ा उतर पाया है, लेकिन अभी इसकी तरफ़ लोगों का काफ़ी खिंचाव है।

इसका एक कारण यह है कि देश में पोस्ट-ग्रैजुएट शिक्षा की पूरी सुविधा सबको नहीं मिल पाती है। जिनको वह सुविधा मिलती है, वे यहां ही रहते हैं और जिनको नहीं मिलती है, वे बाहर चले जाते हैं। इस दृष्टि से ये सुविधायें बढ़ाने के लिए हमने चौथी पंच-वर्षीय योजना में रिजनल इंस्टीट्यूट्स की योजना बनाई है और हमारी आशा है कि इससे काफ़ी सुधार होगा, राहत मिलेगी।

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.35 hrs.

SEEDS BILL

Mr. Speaker: We shall now take up the Seeds Bill.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव कब लिया जायेगा? सीडज बिल और पेटेन्टस बिल पर काफ़ी समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इनको छोड़ तो नहीं सकता हूं। जो कुछ एजैंडे पर है, उसको लेना है।

13.35 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri